(68)

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं जन–जाति कल्याण विभाग।
पत्रांक–..4 / निदे0–एस0सी0ए0–01–.1 / 2013 / 1486

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी–सह–
परियोजना पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 28 जून, 2013

विषयः–अनुसूचित जाति उप योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता तथा अनुसूचित जनजाति उप योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत ऋण–सह–अनुदान योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार सृजन हेतु परिसम्पतियां उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भः–विभागीय पत्रांक–1271 दिनांक–05.06.2013

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु अनुसूचित जाति उप योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता तथा अनुसूचित जनजाति उप योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में उपलब्ध राशि से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। इस मद में विगत वर्षों में जिलों में उपलब्ध कराये गये राशि के विरूद्ध योजनाओं का चयन नहीं किये जाने एवं वित्तीय संस्थाओं के द्वारा आशा के अनुरूप सहयोग नहीं मिलने के कारण इस मद में उपलब्ध राशि का व्यय नहीं किया जा सका है। इससे राज्य के अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इस आलोक में यह निर्णय लिया गया है कि इस मद में उपलब्ध राशि से प्रत्येक पंचायत/स्थानीय निकायों में गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कम–से–कम 20 व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों यथा–रिक्शा, ठेला, सब्जी–ठेला, सामान ढ़ोने हेतु ठेला, विभिन्न फल एवं खाद्यान्न पदार्थ ढ़ोने के लिये ठेला, सिंचाई के लिये पम्प सेट, मोबाईल दूकान, मोबाईल रिपेयरिंग दूकान, साईकिल मरम्मति दूकान, किराना का दूकान, बैण्ड–बाजा (समूहों में), झाड़–फाटक एवं शम्याना (समूहों में) आदि के माध्यम से इनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण तथा इस मद में उपलब्ध अनुदान की राशि उपलब्ध कराते हुये योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है।

2– इस योजना के तहत योजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा 10,000/–(दस हजार रूपया) जो भी कम हो अनुदान के रूप में देय है।

3– बिहार महादलित विकास मिशन के तहत सभी पंचायत/वार्ड में एक–एक विकास मित्र कार्यरत हैं। इस योजना के तहत विकास मित्रों का सहयोग लेते हुये उनके कार्य क्षेत्र के अधीन गरीबी रेखा के नीचे के कम–से–कम 25 अनुसूचित जाति के तथा कम–से–कम 05 अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवेदन–पत्र (इस पत्र के साथ संलग्न) में आवेदन प्राप्त किया जाना है। आवेदन–पत्र के साथ लाभुक के 05 फोटो, जाति प्रमाण–पत्र, आवासीय प्रमाण–पत्र (जॉब कार्ड/आधार कार्ड/बैंक पासबुक/मतदाता पहचान–पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/राशन कार्ड की प्रति) संलग्न किया जाना है।

4– संबंधित विकास मित्र द्वारा आवेदन–पत्र को सत्यापित करते हुए तथा उपरोक्त दस्तावेज संलग्न करते हुए समेकित कर अलग–अलग व्यवसायवार लिफाफा तैयार करते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी विशेष दूत के माध्यम से सभी आवेदन–पत्रों का लिफाफा बिहार महादलित विकास मिशन के राज्य कार्यालय को 24 घण्टों के अंदर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

5– वैसे पंचायत/स्थानीय निकाय जहॉ विकास मित्र चयनित नहीं हैं वहॉ संबंधित प्रखंड कल्याण पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्रखंड कल्याण पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र लाभुकों से प्राप्त कर संबंधित पंचायत सचिव/वार्ड सदस्य से सत्यापित कराते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

6– बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा आवेदन–पत्रों को पटना स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रधान/मुख्य कार्यालय को अग्रसारित करेंगे एवं इसकी सूचना संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को भी देंगे।

7– इस योजना का कार्यान्वयन मिशन मोड में किया जायेगा ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को त्वरित लाभ पहुंचाया जा सके।

8– इस योजना को सुचारू रूप से कार्यान्वित कराने हेतु एन0जी0ओ0 का सहयोग लिया जा सकता है।

अनुलग्नकः– <u>यथोक्त।</u>

विश्वास भाजन,

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव।
24/6/13

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए

आवेदन पत्र

1. लाभार्थी का नाम :– .....
2. लाभार्थी के पिता/पति का नाम :– .....
3. स्थायी पता :– .....
4. .....

.....

5. अस्थायी पता :– .....

.....

.....

.....

6. जाति (छाया प्रति संलग्न करें) .....
7. ड्राईविंग लाईसेन्स (तकनीकि योजना हेतु) छाया प्रति संलग्न करें :– .....
8. निर्वाचन सूची में नाम है अथवा नहीं का (सत्यापन छाया प्रति) .....
9. योजना /परिसम्पत्ति का नाम :– .....
10. योजना परिसम्पत्ति की अनुमानित राशि :– .....
11. मुखिया का अनुशंसा :– .....

.....

.....

12. अभियुक्ति :– .....

लाभार्थी का हस्ताक्षर

मैं ..... पिता/पति ..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सभी बातें सही है तथा गलत सूचना देने पर मेरे विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

लाभार्थी का हस्ताक्षर

प्रखंड विकास पदा0 का मंतव

विकास मित्र का हस्ताक्षर

प्रखंड विकास पदा0 का हस्ताक्षर एवं मुहर

शाखा प्रबंधक

..... बैंक शाखा

मैं, श्री/श्रीमती ..... जन्म तिथि :...../...../.....पुत्र/पत्नी/पुत्री.....
आयु ..... निवासी .....और .....संयुक्त देयता समूह का सदस्य ..... बैंक से संभावित ग्राहक के रूप में पंजीकृत होना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं बैंक शाखा से उधार लेने के लिए किसी प्रकार वचनबद्ध नहीं हूँ, और न बैंक की शाखा सभी या किसी एक प्रयोजन के लिए ऋण प्रदान करने के लिए सहमत है।

1. मेरा मुख्य व्यवसाय .....
2. मैं अनुसूचित जाति ..... अनुसूचित जनजाति ..... से हूँ।
3. मेरा पूरा पता ..... पिन .....
4. मेरे बैंक का खाता सं0 ..... बैंक का नाम ..... शाखा .....
5. परिवार के स्वामित्व की चल संपत्ति के ब्योरे :

परिसंपत्ति का प्रकार	वर्णन	अनुमानित विपणन मूल्य
पशुधन		
कृषि उपकरण		
वाहन		
कोई अन्य		

6. ..... स्थान के ..... द्वारा परिचय।
7. मेरे परिवार का ब्योरा

क्र0	नाम	संबंध	लिंग	आयु	व्यवसाय	शैक्षणिक हैसियत
1						
2						
3						
4						
5						
6						

8. उपभोग व्यय

परिवार के सदस्यों की संख्या	नियमित मासिक घरेलू व्यय (रू.)	त्योहार के मौसम पर वार्षिक खर्च (रू.)

नामांकन :

मेरी मृत्यु/ स्थायी विकलांगता की स्थिति में, मेरा/मेरी नामिती ..... जो मेरा – /मेरी ..... हैं (संबंध) आयु ..... वर्ष, निवासी ..... मेरी ओर से बैंक से कोई भी दावे प्राप्त करने और निपटान करने के लिए हकदार होंगे।

घोषणा :

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि उपर दिये गये ब्योरे मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

नामिती के हस्ताक्षर – आवेदक के हस्ताक्षर – स्थान – दिनांक –

शाखा प्रबंधक की टिप्पणियाँ (प्रतिष्ठा, विश्वसनियता और आवेदक का ऋण रिकार्ड) –

..... से विश्वसनीसता की जाँच की गई।

शाखा प्रबंधक का नाम एवं हस्ताक्षर – स्थान – दिनांक

संयुक्त देयता करार

श्रीमती / श्री ..... द्वारा आज दिनांक .....20..... को किया गया परस्पर करार

1. ..... पुत्री / पत्नी / पुत्र ..... आयु .....वर्ष
2. ..... पुत्री / पत्नी / पुत्र ..... आयु .....वर्ष
3. ..... पुत्री / पत्नी / पुत्र ..... आयु .....वर्ष
4. ..... पुत्री / पत्नी / पुत्र ..... आयु .....वर्ष
5. ..... पुत्री / पत्नी / पुत्र ..... आयु .....वर्ष

..... संयुक्त देयता समूह के उपर्यक्त सभी सदस्य, जिन्हें इसके आगे एक ओर "परस्पर गारंटीकर्त्ता (म्यूचुअल गारंटर) कहा जाएगा, इस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारीयों, निष्पादकों, प्रशाशकों, समनुदेशिती और उससे स्वत्वाधिकार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को शामिल माना जाएगा तथा ..... बैंक के ..... स्थित प्रधान कार्यालय के बीच और, अन्य में से, ... स्थित शाखा कार्यालय जिसका प्रतिनिधित्व श्री / श्रीमती शाखा प्रबंधक समनुदेशिती उत्तराधिकारीयों और अटार्नी को शामिल माना जाएगा।

जबकि 'परस्पर गारंटीकर्त्ताओं को ..... के प्रयोजन हेतु ऋण की जरूरत है और उनमें से प्रत्येक के द्वारा निष्पादित मांग वचन पत्र पर व्यक्तिशः अनुरोध पर बैंक, प्रत्येक के द्वारा निष्पादित सहमति ज्ञापन में उल्लिखित नियम व शर्तों के अनुसार, इन उधारकर्त्ताओं को ऋण सुविधा प्रदान करने को सहमत हुआ है।

'परस्पर गारंटीकर्त्ता' उनमें से प्रत्येक को दिये गये ऋण की गारंटी देते हैं। ऐसा न करने पर, परस्पर उधारकर्त्ताओं में किसी के द्वारा किस्त, मूल रकम, ब्याज, सेवा प्रभारों और बैंक को देय किसी भी अन्य प्रभार की चुनौती में अथवा नियमित करने में या वैवक्तिक रूप से निष्पादित सहमति ज्ञापन के अनुसार रकमों की मंजूरी में चूक की स्थिति में 'परस्पर गारंटीकर्त्ता', जो उपने वैयक्तिक ऋणों के लिए सामूहिक रूप से गारंटी देते हैं, बैंक को आवश्यक भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग–अलग उत्तरदायी होंगे।

'परस्पर गारंटीकर्त्ता', द्वारा वैयक्तिगत रूप से निष्पादित वचन पत्र और सहमति ज्ञापन इस करार के मुख्य अंग हैं।

'परस्पर गारंटीकर्त्ता', उसकी ओर से रखी गयी नकद प्रतिभूति पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग करने के लिए तथा उनके समूह के किसी अन्य परस्पर गारंटीकर्त्ता के देय तारीख को या इसके बाद बकाया ऋण की चुकता नहीं की गई शेष रकम के समक्ष इस नकद प्रतिभूति को समायोजित करने हेतु बैंक को प्राधिकृत करते हैं।

इसके साक्ष्य में 'परस्पर गारंटीकर्त्ता' और बैंक ने क्रमशः उपर्युक्त तारीख पर ..... (स्थान) पर उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

स्थान : दिनांक : कृते

बैंक शाखा प्रबंधक/अन्य उत्प्रेरक संस्था के मार्गदर्शन में संयुक्त देयता समूह गठन के लिए की गई पहली बैठक की कार्यकृत

आज, दिनांक ..... को, श्री ....., शाखा प्रबंधक/विकास मित्र/ एनजीओ ..... (बैंक/एनजीओ का नाम), गाँव .... प्रखंड ..... जिला ..... के मार्गदर्शन में ..... (स्थान) पर एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित लोगों ने भाग लिया :

क्र.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1			
2			
3			
4			
5			
6			

बैठक की शुरूआत में श्री .....शाखा प्रबंधक/विकास मित्र/एनजीओ) ने संयुक्त देयता समूह के गठन, कार्यकलाप एवं संचालन से संबंधित जानकारी दी एवं गाँव और कृषि के विकास में संयुक्त देयता समूह की भूमिका से परिचित कराया।

प्रस्ताव संख्या – 1

बैठक में आये लोगों ने यह निर्णय लिया कि ..... (बैंक) के ..... शाखा से जुड़कर एक संयुक्त देयता समूह गठन किया जाए, जिसका नाम ..... होगा।

प्रस्ताव संख्या – 2 (ध्येय)

इस संयुक्त देयता समूह का ध्येय निम्नलिखित होगा :

1. आपसी सहयोग एवं सामूहिक गारंटी के अंतर्गत बैंक से सभी सदस्यों को ऋण निर्गत करवाना।
2. सदस्यों को बैंक के विभिन्न सेवाओं/योजनाओं से अवगत कराना।
3. ऋण अदायगी के लिए समूह के आंतरिक दबाव का उपयोग करना तथा बैंक को रोजगार से प्राप्त आमदनी अथवा बचत से ऋण अदायगी समय पर करना।

प्रस्ताव संख्या – 3

सदस्यता एवं कार्यकलाप के लिए प्रारंभिक नियमावली :

1. समूह सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा।
2. समूह कम से कम एक मासिक बैठक करेगी।
3. समूह के संचालन एवं बही खातों के रखरखाव की जिम्मेदारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्यों की होगी।
4. सदस्यता की समाप्ति समूह के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करने या लेखा में वित्तीय गड़बड़ी होने या वित्तीय देनदारी में चूक पर, बैठक में चर्चा के पश्चात् तथा कर्ज की पूरी अदायगी के बाद कर दी जाएगी।

वैकल्पिक प्रस्ताव (यदि सदस्य चाहेंगे)

1. समूह के नाम से ..... बैंक ..... शाखा में एक बचत खाता खोला जाएगा, जिसका संचालन अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संयुक्त रूप से करेंगे।

प्रस्ताव संख्या – 5

1. यह तय किया गया कि समूह ....., बैंक का नाम ....., शाखा का नाम ....., प्रखण्ड ....., जिला ....., में ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया जाए।

धन्यवाद सहित बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

हस्ताक्षर (बैंक शाखा प्रबंधक/विकास मित्र/एनजीओ/विशिष्ट अतिथि)

हस्ताक्षर (अध्यक्ष)